कार्यपालक अभियन्ता (याँ0) का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

E-mail imdmuz008@gmail.com

भाडे पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)-02/2025-26

पत्रांक................../ मुजफ्फरपुर, दिनांक / /2026

एतद् द्वारा सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियन्ता (याँ0) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्थल निरीक्षण तथा अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान एक/एक से अधिक (बोलेरो/सुमो या समकक्ष) (चालक सहित) आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

01. कोटेशन आमंत्रन की तिथि :–17.03.2026
02. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय:–28.03.2026 को अपराहन् 3.00 बजे तक।
03 कोटेशन प्राप्ति का स्थल:-- कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
04.कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय:– 28.03.2026 को अपराहन् 3.30 बजे।
05.विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:– कार्यपालक अभियन्ता (याँ0)सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

कोटेशन की तकनीकी शर्ते

01. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) अद्यतन रोड टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र तथा वाहन का वैध इंश्योरेंस कोटेशन के साथ समर्पित किया ताना होगा।
02. वाहन मालिक का आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
03. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
04. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा–

| क्रम संख्या | वाहन का प्रकार | ईधन रहित मासिक भाडा का दर<br>(सभी करो यथा जी0एस0टी0, आई0टी0 सहित) |
|---|---|---|
| | | |

नियम एवं शर्ते

01. भाडे पर वाहन दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
02. वहन का मॉडल 2019 के पूर्व का नही होना चाहिए एवं वाहन अच्छे हालात में होना चाहिए।
03. वाहन मालिक/फर्म का वैध पैन एवं जी0एस0टी0 नम्बर होना चाहिए।
04. वाहन प्रदाता के फर्म होने कि स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए।
05. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ सफाई एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति तौलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जाएगा।
06. वाहन चालक का मानदेय, भुगतान आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म की होगी।
07. वाहन के वैध प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) रोड टैक्स फिटनेश प्रमाण पत्र तथा ईंश्योरेंस आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
08. नियमानुकुल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
09. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
11. वाहन के उपयोग के विरूद्व मात्र मासिक किराया (ईंधन रहित) देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें , जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जाएगा।

13. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के कोटेशनदाता के साथ रू0 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।
14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिवा–रात्रि में किया जा सकता है, तथा सरकारी कार्य निष्पादन के क्रम में वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया का दावा मान्य नहीं होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजि या अन्य व्यवसायिक कार्यो में नही किया जाएगा।
16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जाएगा।
17. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नही करते हैं तो उस दिन का भाडे का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर जी जाएगी।
18. आमंत्रित कोटेशन को बिना कारण बताये रद्द या अस्वीकार किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
19. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।
20. वाहन मालिक/फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर चालू हालत (एक्टिव) रहने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा।
21. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं इन्कम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जाएगी।
22. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 21 तक शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 03, 04, 07 एवं 09 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगें।
23. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें। अनुपस्थित रहने कि स्थिति में बाद में उनका कोई दावा मान्य नही होगा।
24. सभी वांछित कागजात सही पाए जाने पर एक एवं एक से अधिक सामान न्युन्तम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–31.03.2026 को अपराह्न 04.00 बजे वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक/फर्म या उनके प्रतिनिधि उपस्थिति/अनुपस्थिति में लॉटरी किया जायेगा। इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नही होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से संमर्क किया जा सकता है।

ह0/–

कार्यपालक अभियन्ता (यॉ0)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

पत्रांक :- 208    मुजफ्फरपुर,    दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी जल संसाधन विभाग पटना को दो मुख्य समाचार पत्रो मे प्रकाशनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु हार्ड कॉपी एवं साप्ट कॉपी के साथ समर्पित।

17/03/2026.

कार्यपालक अभियन्ता (यॉ0)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

17/3/26